बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संख्या – 03 / भू0अ0नि0(3)विविध(बि0सर्वे0अमीन)आरोप–26 / 2022 4482 **पटना, दिनांक**:– 30/05/2023

आदेश

बंदोबस्त पदाधिकारी, खगड़िया के पत्रांक 43–। दिनांक 07.03.2023 द्वारा श्रीमती प्रवृति सिन्हा, विशेष सर्वेक्षण अमीन(AEN01230) के विरूद्ध कार्य के बदले राशि की उगाही करने संबंधी विडियों वायरल हुआ है, जिसकी जांच संयुक्त जांच दल द्वारा की गयी है, जिसमें राशि उगाही करने संबंधी आरोप की पुष्टि हुई है। वायरल विडियो एवं संयुक्त जांच टीम के जांच प्रतिवेदन के आलोक में बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा श्रीमती सिन्हा का संविदा नियोजन रद्द करने की अनुशंसा की गयी है।

बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा लगाए गए आरोप के आलोक में भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के पत्रांक 2627 दिनांक 03.04.2023 द्वारा आरोपित से 03 दिनों के अन्दर स्पष्टीकरण की मांग की गयी है। आरोपित द्वारा निर्धारित अवधि में अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया है।

प्राप्त स्पष्टीकरण का अवलोकन किया गया। आरोपित द्वारा अपने स्पष्टीकरण में अंकित किया गया है कि विडियो में जो वृद्ध व्यक्ति दिखायी दे रहा है वह शपथ पत्र बनाने हेतु राशि उन्हें दी जा रही है। आगे यह भी अंकित किया गया है कि वह वृद्ध व्यक्ति द्वारा इस आशय का शपथ पत्र दिया गया है कि राशि शपथ पत्र बनाने हेतु दी गयी है। उनके द्वारा यह भी अंकित किया गया है कि सरकारी जमीन को रैयती में खाता खोलने एवं याददाश्त दर्ज करने हेतु बार–बार दबाव बनाया जा रहा था, यह कार्य नही करने पर विडियों बनाया गया है। साथ ही विडियो में किसी अन्य व्यक्ति जिसके साथ राशि का लेन–देन हो रहा था, उससे उनका कोई वास्ता नहीं है। साक्ष्य के रूप में इनके द्वारा शपथ पत्र एवं सी0डी0 संलग्न की गयी है।

बंदोबस्त पदाधिकारी से प्राप्त अनुशंसा तदनुसार निदेशालय से किए गए स्पष्टीकरण तथा आरोपित द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण एवं संचिका में रक्षित अन्य अभिलेखों की समीक्षा की गयी है। समीक्षोपरांत यह पाया गया कि आरोपित द्वारा अपने स्पष्टीकरण में स्वयं स्वीकार किया है कि वृद्ध व्यक्ति से शपथ पत्र बनाने हेतु राशि ली गयी है। आरोपित सरकारी पक्ष के संविदा कर्मी हैं, जिनका दायित्व सरकार द्वारा दिए गए कार्यो का निर्वहन करना है न कि आम रैयत से पैसा प्राप्त कर उनका शपथ पत्र बनाना। पैसे की लेन–देन से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि इनके द्वारा अवैध कृत्य किया गया है। साथ ही बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा भेजे गये सी0डी0 के अवलोकन से स्पष्ट है कि आरोपित द्वारा वृद्ध व्यक्ति से अपने बगल में बैठे सहयोगी को राशि दिलायी जा रही है एवं राशि कम देने पर चिल्लाकर अतिरिक्त दो सौ रूपये की मांग की जा रही है।

साथ ही इनके द्वारा स्पष्टीकरण के साथ एक शपथ पत्र संलग्न किया गया है। संलग्न शपथ पत्र के सत्यता की जांच हेतु उक्त जिले के लिए नामित नोडल पदाधिकारी द्वारा मंतव्य अंकित किया गया है कि स्पष्टीकरण के साथ संलग्न शपथ पत्र फर्जी प्रतीत होता है। साथ ही आरोपित द्वारा स्पष्टीकरण के साथ जो सी0डी0 संलग्न की गयी है, उसके श्रवण (Hearing) से स्पष्ट है कि वह सी0डी0 खाली (Blank) है।इनके कृत्यों से स्पष्ट है कि आरोपित द्वारा फर्जी शपथ पत्र एवं साक्ष्य प्रस्तुत कर कार्यालय को गुमराह एवं दिग्भ्रमित करते हुए अपने द्वारा किए गए भ्रष्टाचार को छिपाने जैसा कार्य किया गया है। आरोपित पर बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा भ्रष्टाचार संबंधी लगाया गया आरोप प्रमाणित होता है। बिहार विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम आमजनता के बीच सहयोग के साथ किया जाने वाला कार्य है। इनके इस प्रकार के कृत्य से अन्य कर्मियों पर कुप्रभाव नहीं पड़ने के दृष्टिगत इनका संविदा नियोजन बनाए रखना उचित नहीं है।

अतः बंदोबस्त पदाधिकारी के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए **"बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली 8(4)"** के आलोक में श्रीमती प्रवृति सिन्हा, विशेष सर्वेक्षण अमीन(AEN01230) का संविदा नियोजन समाप्त किया जाता है।

(जय सिंह)
निदेशक 29/5/23
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03 / 02–भू0अ0नि0राज्य यो0(आरोप)खगड़िया–30 / 2023 4482 **पटना, दिनांक** :– 30/05/2023

प्रतिलिपि :– श्रीमती प्रवृति सिन्हा, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN01230), बंदोबस्त कार्यालय, खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक 29/5/23
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03 / 02–भू0अ0नि0राज्य यो0(आरोप)खगड़िया–30 / 2023 5482 **पटना, दिनांक** :– 30/05/2023

प्रतिलिपि :– बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक 29/5/23
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03 / 02–भू0अ0नि0राज्य यो0(आरोप)खगड़िया–30 / 2023 5482 **पटना, दिनांक** :– 30/05/2023

प्रतिलिपि :– श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं निदेशालय आदेश संख्या 1250 दिनांक 30.01.2023 के अनुपालनार्थ प्रेषित।

निदेशक 29/5/23
भू–अभिलेख एवं परिमाप